झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Gyandeep Campus, Bargawan,
Namkum, Ranchi – 834010
Ph : 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ,
नामकुम, राँची – 834010
फोन : 0651–6453342,6453343,
6453344, 6453345
Website: www.jac.nic.in

पत्रांक / Ref. JAC/4312/10 दिनांक / Date. 15/05/10

प्रेषक,

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,
सोहन लाल आर्य इंटर महाविद्यालय,
तुपकाडीह, बोकारो।

विषयः– **सोहन लाल आर्य इंटर महाविद्यालय, तुपकाडीह, बोकारो के विज्ञान संकाय की स्थायी प्रस्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सराकर (राँची) के पत्रांक 6 / अ.8–14–2008 / 2401, दिनांक 16.04.2010 के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत सोहन लाल आर्य इंटर महाविद्यालय, तुपकाडीह, बोकारो को विज्ञान संकाय में इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम के निम्न विषयों में प्रस्वीकृति झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एव बंधेज) नियमावली, 2005 की धारा 9 (ग) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग करते हुए देने की कृपा की है :–

विज्ञान संकाय :– भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, सांख्यिकी, हिन्दी एवं अंग्रेजी।

2. यह स्थायी प्रस्वीकृति संदर्भित नियामावली की धारा–7 में सबधित महाविद्यालय द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता के पालन करने के पश्चात् दी जा रही है। इन पात्रताओं का संबंधित महाविद्यालय को निरंतर रूप से पालन करते रहना होगा। यदि भविष्य में किसी विन्दु पर महाविद्यालय इनमें से किसी पात्रता की शर्त्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उक्त नियमावली के नियम–11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को दी गई स्थायी प्रस्वीकृति को समाप्त कर दी जाएगी।

3. प्रस्वीकृति (शर्त्त एव बंधेज) नियमावली, 2005 की धारा 7 (ञ) के तहत् प्रशिक्षण के लिए जिस शर्त्त का प्रावधान है उसकी पूर्ति अगर तीन वर्ष के अन्दर नहीं हुई तो प्रस्वीकृति स्वत समाप्त समझी जायेगी।

4. यह प्रस्वीकृति राज्य सरकार के लिए किसी वित्तीय देनदारी का सृजन नहीं कर सकेगी।

विश्वासभाजन
14/5/10
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि : निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), झारखण्ड राँची को उनके पत्रांक 2401 दिनांक 16.04.2010 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

Principal
Sohan Lal Arya Inter College
Kalyanpur, Tupkadih, Bokaro

झारखण्ड अधिविद्य परिषद,राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Birsadih, Hawai Nagar, Khunti Road
Hatia , Ranchi – 834003
Ph.:- 0651-2502131, 2502141,2502192
Fax :- 2502175
बिरसाडीह ,हवाई नगर ,खूँटी रोड
हटिया, राँची – 834003
फोन : 0651–2502131,2502141,2502192
फैक्स :– 2502175

Ref. JAC/Sall/Call/0288/07 — Date. 24/04/07

प्रेषक,

श्री पोलिकार्प तिर्की,
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची।

सेवा मे,

सचिव / प्राचार्य,
सोहनलाल आर्य इंटर महाविद्यालय, तुपकाडीह (बोकारो)

विषय :– **सोहनलाल आर्य इंटर महाविद्यालय, तुपकाडीह (बोकारो) के स्थायी प्रस्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, **झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक** – 6 / अ8 – 14 / 2004 / 918 दिनांक 30.03.2007 के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने सम्यक् **विचारोपरान्त सोहनलाल आर्य इंटर महाविद्यालय**, तुपकाडीह (बोकारो) को कला एवं वाणिज्य संकाय में इन्टर स्तरीय पाठ्यक्रम के निम्न विषयों में स्थायी प्रस्वीकृति झारखण्ड इन्टरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 की धारा–9 (ग) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए देने की कृपा की है।

(क) **कला संकाय** – इतिहास, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, राष्ट्रभाषा हिन्दी, प्रधान हिन्दी, गृह विज्ञान, उर्दू, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, मानवशास्त्र, परसियर्न, उड़ीया, बंगला, संथाली, पाली, संगीत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गाँधी विचार एवं भूगोल।

(ख) **वाणिज्य संकाय** – सभी विषयों में।

2. यह स्थायी प्रस्वीकृति संदर्भित नियमावली की धारा 7 में संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित पात्रता के पालन करने के पश्चात् दी जा रही है। इन पात्रताओं का संबंधित महाविद्यालय को निरन्तर रूप से पालन करते रहना होगा। यदि भविष्य में किसी बिन्दु पर महाविद्यालय इनमें से किसी पात्रता की शर्त्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उक्त नियमावली के नियम – 11 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को दी गई स्थायी प्रस्वीकृति को समाप्त कर दिया जायेगा।

3. प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 की धारा 7 (ञ) के तहत प्रशिक्षण के लिए जिस शर्त्त का प्रावधान है उसकी पूर्ति अगर तीन वर्षों के अन्दर नहीं हुई तो प्रस्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

4. यह प्रस्वीकृति राज्य सरकार / परिषद् के लिये किसी वित्तीय देनदारी का सृजन नहीं कर सकेगी।

विश्वासभाजन,

(पोलिकार्प तिर्की) 24/4
सचिव

21.4.07

Principal
Sohan Lal Arya Inter College
Kalyanpur, Tupkadih, Bokaro